न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः—10 / 2012

जी.सी.एम.एस .संख्याः—2012 / 00067 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. जगमोहन पुत्र फैली माली
2. तेजराम पुत्र फैली माली
3. बाबू पुत्र हरफुल माली
4. लाली पुत्र हरफुल माली
5. दौलती
6. कानजी
7. मुकेश
8. छोटे

} पिसरान पुत्र रामस्वरूप माली

समस्त निवासीयान उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।

...अपीलान्ट

बनाम

1. शांति देवी बेवा रामस्वरूप(फौत)(हजफ)
2. पुरूषोत्तम
3. हुकमचन्द
4. सत्यानारायण
5. पुष्पा उर्फ तोफानी
6. राजकुमारी उर्फ रज्जो

} पिसरान रामस्वरूप

7. जगदीश प्रसाद पुत्र बजरंगलाल
8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बजरंगलाल
9. धप्पो बेवा बजरंगलाल

समस्त निवासीयान सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी।

10. मिश्रिलाल पुत्र रामकुंवार (फौत)

10 / 1. गजानन्द

10 / 2. कैलाविहारी

10 / 3. अशोक

10 / 4. बनवारी

10 / 5 भोली बेवा मिश्रिलाल

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

समस्त निवासीयान सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी।
10/6. सुशीला पुत्री मिश्रीलाल पत्नि रघुनन्दन निवासी सिकन्दरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
10/7. मुनिया पुत्री मिश्रीलाल पत्नि घनश्याम निवासी सिकन्दरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
11. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी।

..रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री महेश चन्द अग्रवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 02 तथा 04 ।
3. श्री पेशकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 11।

—::निर्णय::—

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 188/06 बउनवान रामस्वरूप बनाम जगमोहन वगैरहा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2010 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई दिनांक 06.01.23 है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामस्वरूप ने एक वाद पत्र अन्तर्गत दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि जौहरी पुत्र भौरीलाल की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा ग्राम सलारपुर में स्थित है जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 1.13 है0 237 रकबा 05 एयर 238 रकबा 04 एयर, 239 रकबा 03 एयर, 240 रकबा 1.95 है0, खसरा नम्बर 240/443 रकबा 11 एयर , 233 रकबा 1.21 है0 मे से 18 एयर कुल 3.49 है0 बने है। मिलान क्षेत्रफल में कुल रकबा 18 एयर कम कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के हिस्से के 10 एयर करवे के प्रति सं0 01 लगायत 08 की खातेदारी भूमि सावित खसरा नम्बर 85 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा उसके हाल खसरा नम्बर 241 रकबा [illegible] साथ ही वादी के हिस्से की 05 एयर भूमि प्रतिवादीगण 09 लगा[illegible] 12 [illegible] सावित खसरा [illegible] रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा से बने हाल खसरा [illegible] कुल रकबा 2.34

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है0 में दर्ज कर दिया। शेष 04 एयर का एक बिना नम्बरी रास्ता कायम कर दिया। इससे वादी के हिस्से पर विपरीत असर पड़ रहा है। वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। तत्पश्चात् मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी ने दिनांक 04.05.2010 निर्णय वादी के पक्ष करते हुए, डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने अपीलांट के खिलाफ एकपक्षीय बहस सुनकर उक्त निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत की पत्रावली में यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि विवादित आराजीयात की जरिए रजिस्टर्ड क्रयशुदा भूमि है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि साविक खसरा नम्बर 85 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 241 रकबा 1.44 हैक्टेयर जो साविक रकबे से कम है। बल्कि भू–प्रबंध विभाग ने गलत रूप से अपीलांट की 10 एयर भूमि का रकबा वादी की खातेदारी की भूमि में लगा दिया है। जिसका अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम मातहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जिसे मातहत अदालत ने ना तो खारिज फरमाया और ना ही स्वीकार किया। मातहत अदालत ने निर्णय पारित करते हुए दिनांक 04.05.10 को खसरा नम्बर 241 रकबा 1.44 हैक्टेयर में 10 एयर रकबा उत्तर से दक्षिण डौल के सहारे, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.21 हैक्टेयर में 18 एयर के बजाय 22 एयर का रेस्पोडेन्ट/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया और भूमि से संबंधित अपीलांटस्/प्रतिवादीगण की खातेदारी से समान हिस्सा हजफ करके रेस्पोडेन्ट/वादी के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार पारित आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिकी दिनांक 04.05.20 निरस्त फरमाया जावें। अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का ... पेश करने में हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

तहसील अधिकारी
माधोपुर

Scanned with CamScanner

देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अत: अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावे।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने दावे व जवाब दावे के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई थी। उनको सम्पूर्ण रूप से निर्णित नहीं किया और ना ही पक्षकारों पर तनकी सिद्ध करने का भार डाला है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरो में स्पष्ट रूप से यही सिद्धांत पारित किया है कि परीक्षण न्यायालय को ऑर्डर 20 रूल 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रत्येक इश्यू पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो दस्तावेजी एवं मौखिक की तुलना कर प्रत्येक इश्यू को पृथक पृथक निर्णित करना चाहिए। मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मानीनय राजस्व मण्डल अजमेर राज0 द्वारा प्रतिपादित दृष्टांत आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 368,आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 283 पेश किए।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से बिना किसी अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 की खातेदारी भूमि उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर करीब 4 एयर का एक बिना नम्बरी रास्ता कायम कर दिया है जो पहले कभी भी रेसपोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में होकर नहीं रहा है। अपीलांट उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल करना चाहते है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार है। अत: अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

10. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के [illegible] कि अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा मुकदमा [illegible]/2005 निर्णय दिनांक 04.05.2010 में वादी के वाद पत्र [illegible] कायम

पील अधिकारी
ई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की गई। परन्तु न तो एक भी तनकी का विवेचन किया गया न ही तनकीदार निर्णय पारित किया गया। जबकि न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में ऑर्डर 20–रूल–05 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान निम्नानुसार है–

"Court to state its decision on each issue– In suits in which issue, have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon separate issue, unless the finding upon any one or more of the issue is sufficient for the suit."

इस संबंध में अधिवक्ता अपिलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा होते है।

आर.बी.ए. (28) 2021 पेज 283 निम्नानुसार है–

"CIVIL PROCEDURE CODE 1908- Order 41 Rule 31 Appellate Court has not given Judgment on each issue whereas Appellate Court. Should have given finding on each issue. Order set aside."

प्रथमः–अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। अतः मातहत अदालत का निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीय–अदालत मातहत द्वारा अपीलांट /प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया है, जबकि वाद साथ–साथ प्रतिवाद को भी निर्णित किया जाना चाहिए था। इसलिए भी निर्णय अपास्त योग्य है।

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी, के निर्णय दिनांक 04.05.2010 बउनवान रामस्वरूप बनाम जगमोहन वगैरह अपास्त योग्य पाए जाने से अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निर्मित 10 तनकीयात पर, प्रत्येक पर विवेचना करते हुए निर्णय करते हुए, अपीलांट अपील प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को भी निर्णित करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 06.02.23 को उपस्थित हों।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.01.2023 को सुनाया गया।

06.01.2023

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner